

सुब रीन | 4/11/2019 न.पा. 11/20

दिनांक आज्ञा पत्र

135.24

पत्रावली पेश। वकली अपीलान्त एव अपीलान्त स्वयं कौ
 बार बार अवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल
 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इत्तजार किया गया
 उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता
 अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी
 एवं अदम पैरकी नें खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास
 जुनमा गया। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर
 सब तस्वीर दफ्तरीत दखिल दफ्तरीत हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (कैम्प सुन्झन)



[Faint, illegible text and stamps from the reverse side of the paper are visible through the page.]